

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110 001



सां/No. : 5-1(426)/2017-PD

Dated 11.01.2022

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

| क्रम सं. Sl. No. | कार्यालय ज्ञापन सं. / Office Memorandum No. | विषय/ Subject |
|---------------------|--|---|
| 1. | भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/15/2016-स्था.क-III दिनांक 18.06.2019 Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training Office Memorandum No.11012/15/2016-Estt A-III dated 18.06.2019 | सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण पर वेतन का विनियमन। Regulation of pay on imposition of a penalty under CCS (CCA) Rules, 1965. |

भवदीय/Yours faithfully,

 11 Jan 2022

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति/ M. Arun Manikanda Bharathi)

अवर सचिव (नीति प्रभाग)/US (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- कार्यालय प्रति/Office copy.

कार्यालय आपन

विषय : सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण पर वेतन का विनियमन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम II में निर्धारित निम्नलिखित शास्तियों का अधिकारी के वेतन पर प्रभाव पड़ता है:

11. शास्तियां

.....

छोटी शास्तियां-

(iii)(क) वेतन के समय-मान में किसी निम्नतर स्तर पर तीन वर्ष से अधिकतम की अवधि के लिए संयची प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक स्तर तक अवनति।

(iv) वेतन वृद्धि रोकना।

बड़ी शास्तियां

(v) खण्ड (III)(क) में यथा उपबंधित के सिवाए, किसी विशेष निर्धारित अवधि के लिए वेतन के समय-मान को किसी निचले स्तर तक घटाना और साथ ही ये दिशा-निर्देश देना कि क्या सरकारी सेवक ऐसे वेतनमान में स्तरावनत किए जाने की अवधि के दौरान वेतन-वृद्धि अर्जित करेगा अथवा नहीं और यह कि क्या ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर यह स्तरावनति उनके वेतन की भावी वृद्धि को मुलतवी करेगी अथवा नहीं करेगी।

(vi) शास्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए किसी निम्नतर वेतन के समय-मान, श्रेणी, पद या सेवा में अवनति जो ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उस वेतन के समय-मान, श्रेणी, पद या सेवा पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए वर्जन होगी जिससे उसे अवनत किया गया था, और इन निदेशों के साथ कि क्या उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के उपरांत प्रोन्नति होने पर-

(क) वेतन के समय-मान, श्रेणी, पद या सेवा में अवनति की अवधि उसके वेतन की अगली वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए संचालित होगी अथवा नहीं और यदि हां तो किसी सीमा तक होगी; और

(ख) सरकारी सेवक उच्चतर वेतन के समय-मान, श्रेणी, पद या सेवा में अपनी मूल वरिष्ठता वापस प्राप्त करेगा या नहीं;

2. दिनांक 25.07.2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 72 (1) (अ) के तहत अधिसूचित केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के माध्यम से वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन की मौजूदा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की अनुसूची के भाग 'क' के अधीन यथाविनिर्दिष्ट वेतन-मैट्रिक्स की एक नई प्रणाली की शुरुआत की गई है।

अब तक, ग्रेड वेतन द्वारा निर्धारित होने वाली किसी कर्मचारी की स्थिति, अब वेतन मैट्रिक्स में स्तर द्वारा निर्धारित होगी। इसके अलावा, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 (1) के अनुसार, वेतनवृद्धि प्रदान करने की मौजूदा तारीख 1 जुलाई के स्थान पर अब दो तारीखें नामतः प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी तथा 1 जुलाई होती हैं।

3. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के खंड 3 के अनुसार 'स्तर' को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

'वेतन मैट्रिक्स में 'लेवल' का आशय अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान का समरूपी लेवल होगा'

4. संशोधित (वेतन) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के आलोक में, इन शास्तियों के अधिरोपण पर वेतन के विनियमन पर आगामी पैराओं में चर्चा की गई है:

क. एक स्तर द्वारा वेतन के निचले स्तर में अवनति {नियम 11 (iii) क}

इस नियम के अंतर्गत शास्ति लगाए जाने पर, वेतन को वेतन मैट्रिक्स में उसी स्तर में ठीक निचले प्रकोष्ठ में निर्धारित किया जाएगा। अन्य शब्दों में, एक स्तर द्वारा अवनति के मामले में संशोधित वेतन अंतिम वेतनवृद्धि से पहले के स्तर में उसी लेवल में आहरित वेतन होगा।

टिप्पणी: उपर्युक्त शास्ति न्यूनतम स्तर में वेतन आहरित करने वाले किसी सरकारी सेवक पर नहीं लगाई जा सकती।

ख. वेतनवृद्धि रोकना {नियम 11 (iv)}

जैसाकि उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लेख किया गया है, वेतनवृद्धि पात्रता के अनुसार प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी या 1 जुलाई को प्रदान की जाती है। अतः, वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति लगाए जाने पर, शास्ति लगाए जाने की तारीख के पश्चात् देय अगली वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) रोक ली जाएंगी। यदि एक से अधिक वेतनवृद्धियां रोकने की शास्ति लगाई जाती है तब आगामी वर्षों में 1 जनवरी या 1 जुलाई, जो भी मामला हो, को देय वेतनवृद्धियां समानरूप से रोक ली जाएंगी। शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर वेतनवृद्धि पुनः लागू हो जाएगी। वेतनवृद्धि फिर से चालू होने पर, वेतनवृद्धियां बकाया राशि (एरिअर) के बिना तथा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को प्रभावित किए बिना कल्पित आधार पर प्रदान की जाएंगी।

यह ऐसे मामलों पर भी लागू होता है जहां शास्ति एक वर्ष के भाग के लिए अधिरोपित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी सेवक पर अक्टूबर, 2017 में छह माह के लिए एक वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है तो वेतनवृद्धि को रोकना निम्नलिखित तरीके से होगा:

| | |
|---------------------------------------|--|
| जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी है | जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई है |
| 1.01.2018 को देय होने वाली वेतनवृद्धि | 1.07.2018 को देय होने वाली वेतनवृद्धि अगले |

| | |
|--|---|
| अगले छह माह की अवधि के लिए रोकी जाएगी, अर्थात् 30.6.2018 तक 1 वेतनवृद्धि बिना किसी बकाया राशि के 1.07.2018 को जारी की जाएगी। | छह माह की अवधि के लिए रोकी जाएगी, अर्थात् 31.12.2018 तक 1 वेतनवृद्धि बिना किसी बकाया राशि के 01.01.2018 को जारी की जाएगी। |
|--|---|

(ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन समयमान में एक निचले स्तर की अवनति (नियम 11 (IV))

नियम 11 (III-क) के अंतर्गत ऊपर परिभाषित की गई एक चरण की अवनति के अधिरोपण की प्रक्रिया वेतन मैट्रिक्स में वेतन के समान स्तर में निचले उर्ध्व कोष्ठ (सेल) में अवनति के प्रत्येक अतिरिक्त चरण के लिए दोहराई जाएगी।

टिप्पणी 1: इस नियम के अंतर्गत किसी शास्ति का अधिरोपण स्वीकार्य नहीं होगा, यदि शास्ति अधिरोपण के पश्चात् वेतन उस स्तर के प्रथम कोष्ठ (सेल) से नीचे होगा।

टिप्पणी 2: अनुशासनिक प्राधिकारी शास्ति की मात्रा अर्थात् उतने चरणों की संख्या जितने की अवनति वेतन में की जानी है, का निर्धारण करने से पहले सभी कारकों का मूल्यांकन करेगा।

घ. नियम 11 (IV) के अंतर्गत वेतन के निचले समयमान में अवनति

वेतन के निचले समयमान में अवनति की शास्ति के अधिरोपण के मामले में, सरकारी सेवक के वेतन को वेतन के उस चरण तक अवनति की जाएगी जितना वेतन उसे मिल रहा होता यदि वह शास्ति की अवधि हेतु निचले पद पर कार्यरत बना रहा होता। इस मामले में वेतन नियतन का तरीका, पदोन्नति पर वेतन नियतन के तरीके को उल्टा करने के समान है।

तथापि, मूल नियम 28 के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी को यह इंगित करने की शक्ति है कि उस सरकारी सेवक को कितना वेतन मिलेगा जिस पर रैंक में अवनति की शास्ति अधिरोपित की गयी है।

यह भी उल्लेखनीय है किसी सरकारी सेवक को किसी ऐसे पद की रैंक में पदावनत नहीं किया जा सकता है जो उसके द्वारा उस संवर्ग में धारित न किया गया हो।

उदाहरणार्थ:

- (i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किए गए किसी सहायक अनुभाग अधिकारी को वरिष्ठ सचिवालय सहायक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक जैसी रैंक में पदावनत नहीं किया जा सकता है।
- (ii) अवर श्रेणी लिपिक/कर सहायक आदि जैसे किसी पद को धारण करने वाले किसी सरकारी सेवक को, जो सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करता है तथा तत्पश्चात् अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है, सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) (सीधी भर्ती) से पहले धारित रैंक में पदावनत नहीं किया जा सकता है लेकिन केवल सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर ही पदावनत किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त मामले के संबंध में वेतन नियतन से संबंधित कुछ उदाहरण संलग्न हैं।

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मिकों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् जारी किए जा रहे हैं।



(सतीश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (मानक सूची के अनुसार)

प्रति प्रेषित:

1. राष्ट्रपति सचिवालय ,नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय ,नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय ,नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय ,नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ,नई दिल्ली।
7. सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग।
8. सचिव ,संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
9. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
10. कर्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध कार्यालय।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
13. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
14. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
15. सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)।
16. एडीजी (एम एंड सी), प्रेस सूचना ब्यूरो, कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
17. एनआईसी, कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली उक्त को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर [अधिसूचनाएं]>>कार्यालय जापन और आदेश >> स्थापना >> सीसीएस (सीसीए नियम) एवं ; 'नया क्या है' शीर्ष के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।



(सतीश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

उदाहरण

वेतन के समयमान में निचले चरण की अवनति

उदाहरण

| | स्तर (लेवल) | सेल | वेतन |
|--------------------|-------------|-----|-------------|
| शास्ति की तारीख पर | 9 | 7 | 63300 रुपये |
| 1 चरण की अवनति | 9 | 6 | 61500 रुपये |
| 2 चरण की अवनति | 9 | 5 | 59700 रुपये |
| 3 चरण की अवनति | 9 | 4 | 58000 रुपये |
| 4 चरण की अवनति | 9 | 3 | 56300 रुपये |
| 5 चरण की अवनति | 9 | 2 | 54700 रुपये |

उदाहरण-2

| | स्तर | सेल | वेतन |
|--------------------|------|-----|-------------|
| शास्ति की तारीख पर | 9 | 3 | 56300 रुपये |
| 1 चरण की अवनति | 9 | 2 | 54700 रुपये |
| 2 चरण की अवनति | 9 | 1 | 53100 रुपये |
| 3 चरण की अवनति | ** | ** | ** |
| 4 चरण की अवनति | | | |
| 5 चरण की अवनति | | | |

** उपर्युक्त उदाहरण में, दो चरणों से अधिक की अवनति की शास्ति उस स्तर के प्रथम कोष्ठ (सेल) से नीचे होगी, इसलिए ऐसी शास्ति क्रियान्वयन योग्य नहीं होगी। अतएव, केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 11 (V) के अंतर्गत वेतन के समयमान में निचले चरण की अवनति की शास्ति को अधिरोपित करते समय, अनुशासनिक प्राधिकारी शास्ति की मात्रा अर्थात् वेतन में की जाने वाली अवनति के चरणों की संख्या, का निर्धारण करने से पहले सभी कारकों का मूल्यांकन करे।

मामला सं. 1

(I) मामला 1 : [नियम 11 (IIIक) के अधीन शास्ति] निचले स्तर पर अवनति

एक सरकारी सेवक पर संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए दिनांक 13.08.2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए उसके वेतन समय मान में एक चरण निचले स्तर पर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित की गई है। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रु. 50500 आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा:-

| | | |
|--|--|---|
| | जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी है। | जब वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई है। |
| शास्ति अधिरोपित किए जाने के समय वेतन, | रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ) | रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ) |
| दिनांक 13.08.2017 से प्रभावी अवनत वेतन (दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 12.08.2018 तक करेंसी अवधि के दौरान वेतन) | रु. 49000 (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ) | रु. 49000 (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ) |
| वेतनवृद्धि (कल्पित) | दिनांक 1 जनवरी, 2018 को रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) | दिनांक 1 जुलाई, 2018 को रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) |
| दिनांक 13.08.2018 से प्रभावी वेतन | रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) दिनांक 01.01.2019 से देय वेतनवृद्धि के बाद उसका वेतन 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ) होगा। | रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) दिनांक 01.07.2019 से देय वेतनवृद्धि आहरित करने के बाद उसका वेतन 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ) होगा। |

(i) मामला 2 : [नियम 11 (iii) के अधीन शास्ति] निचले स्तर पर अवनति

एक सरकारी सेवक पर संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए दिनांक 13.08.2017 से दो वर्ष की अवधि के लिए उसके वेतन समय मान में एक चरण निचले स्तर पर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित की गई है। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रु. 50500 आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा।

| | जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी है। | जब वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई है। |
|--|--|---|
| शास्ति अधिरोपित किए जाने के समय वेतन, | रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ) | रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ) |
| दिनांक 13.08.2017 से प्रभावी अवनत वेतन (दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 12.08.2019 तक करेंसी अवधि के दौरान वेतन) | रु. 49000 (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ) | रु. 49000 (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ) |
| वेतनवृद्धि (कल्पित) | <p>दिनांक 1 जनवरी, 2018 को</p> <p>रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)</p> <p>दिनांक 1 जनवरी, 2019 को</p> <p>रु. 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ)</p> | <p>दिनांक 1 जुलाई, 2018 को</p> <p>रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ)</p> <p>दिनांक 1 जुलाई, 2019 को</p> <p>रु. 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ)</p> |
| दिनांक 13.08.2019 से प्रभावी वेतन | <p>रु. 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ)</p> <p>दिनांक 01.01.2020 से देय वेतनवृद्धि के बाद उसका वेतन 55200 (स्तर 7 का 8वां प्रकोष्ठ) होगा।</p> | <p>रु. 53600 (स्तर 7 का 7वां प्रकोष्ठ)</p> <p>दिनांक 01.07.2020 से देय वेतनवृद्धि आहरित करने के बाद उसका वेतन 55200 (स्तर 7 का 8वां प्रकोष्ठ) होगा।</p> |

मामला सं. 3

(iii) मामला 3: वेतन वृद्धि को रोकना [नियम 11(iv) के अंतर्गत शास्ति]

दिनांक 13.08.2017 को सरकारी सेवक पर दो वर्षों की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि की रोक लगाने की शास्ति अधिरोपित की गई। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रूपए 50500 का आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा:-

| | | |
|--|---|---|
| | जब वेतन वृद्धि की तारीख 01 जनवरी है। | जब वेतन वृद्धि की तारीख 01 जुलाई है। |
| शास्ति अधिरोपित किए जाने अर्थात् दिनांक 13.08.2017 को वेतन | रु. 50500 [स्तर 7 का 5 ^{वां} प्रकोष्ठ] | रु. 50500 [स्तर 7 का 5 ^{वां} प्रकोष्ठ] |
| करेंसी अवधि के दौरान वेतन | <p>दिनांक 01.01.2018 को देय वेतन वृद्धि 02 वर्षों की अवधि अर्थात् 31.12.2019 के लिए रोकी जाएगी</p> <p>इस प्रकार, दिनांक 13.08.2017 से प्रभावी वेतन निम्नानुसार होगा:</p> <p>(i) 13.08.2017 से 31.12.2017 तक वेतन रु. 50500 [स्तर 7 का 5^{वां} प्रकोष्ठ] होगा।</p> <p>(ii) 1.01.2018 से 31.12.2018 तक वेतन रु. 50500 [स्तर 7 का 5^{वां} प्रकोष्ठ] होगा। [शास्ति अधिरोपित किए जाने के कारण]</p> <p>(iii) 1.01.2019 से 31.12.2019 तक वेतन रु. 52000 [स्तर 7 का 6^{वां} प्रकोष्ठ]</p> | <p>01.07.2018 को देय वेतन वृद्धि दो वर्षों अर्थात् 30.06.2020 के लिए रोकी जाएगी।</p> <p>इस प्रकार, दिनांक 13.08.2017 से प्रभावी वेतन निम्नानुसार होगा:</p> <p>(i) 13.08.2017 से 30.06.2018 तक वेतन रु. 50500 [स्तर 7 का 5^{वां} प्रकोष्ठ] होगा।</p> <p>(ii) 1.07.2018 से 30.06.2019 तक वेतन रु. 50500 [स्तर 7 का 5^{वां} प्रकोष्ठ] होगा। [शास्ति अधिरोपित किए जाने के कारण]</p> <p>(iii) 1.07.2019 से 30.06.2020 तक वेतन रु. 52000 [स्तर 7 का 6^{वां} प्रकोष्ठ]</p> |
| वेतन वृद्धि (कल्पित) | <p>दिनांक 1 जनवरी, 2018 रु. 52000 [स्तर 7 का 6^{वां} प्रकोष्ठ]</p> <p>दिनांक 1 जनवरी, 2019 रु. 53600 [स्तर 7 का 8^{वां} प्रकोष्ठ]</p> | <p>दिनांक 1 जुलाई, 2018 रु. 52000 [स्तर 7 का 6^{वां} प्रकोष्ठ]</p> <p>दिनांक 1 जुलाई, 2019 रु. 53600 [स्तर 7 का 8^{वां} प्रकोष्ठ]</p> |
| करेंसी अवधि के बाद का वेतन | दिनांक 1.01.2020 से = रु. 55200 [स्तर 7 का 8 ^{वां} प्रकोष्ठ] | दिनांक 1.07.2020 से = रु. 55200 [स्तर 7 का 8 ^{वां} प्रकोष्ठ] |
| करेंसी अवधि | 13.08.2017 से 31.12.2019 तक | 13.08.2017 से 30.06.2020 तक |

मामला सं. 4

(iv) मामला 4: वेतन वृद्धि को रोकना [नियम 11(iv) के अंतर्गत शास्ति]

दिनांक 13.08.2017 को सरकारी सेवक पर छः माह की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की जाती है। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रूपए 50500 का आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा।

| | | |
|---|---|--|
| | जब वेतन वृद्धि की तारीख 01 जनवरी है। | जब वेतन वृद्धि की तारीख 01 जुलाई है। |
| शास्ति अधिरोपित किए जाने अर्थात दिनांक 13.08.2017 को वेतन | रु. 50500 [स्तर 7 का 5 ^{वां} प्रकोष्ठ] | रु. 50500 [स्तर 7 का 5 ^{वां} प्रकोष्ठ] |
| करेंसी अवधि के दौरान वेतन | दिनांक 01.01.2018 को देय वेतन वृद्धि रोकी जाएगी अर्थात 30.06.2018 तक रोकी जाएगी। इस प्रकार, दिनांक 13.08.2017 से 30.06.2018 तक वेतन = रु. 50500 [स्तर 7 का 5 ^{वां} प्रकोष्ठ] | दिनांक 01.07.2018 को देय वेतन वृद्धि रोकी जाएगी अर्थात 31.12.2018 तक रोकी जाएगी। इस प्रकार, दिनांक 13.08.2017 से 31.12.2018 तक वेतन = रु. 50500 [स्तर 7 का 5 ^{वां} प्रकोष्ठ] |
| वेतन वृद्धि (कल्पित) | दिनांक 1 जनवरी, 2018 रु. 52000 [स्तर 7 का 6 ^{वां} प्रकोष्ठ] | दिनांक 1 जुलाई, 2018 रु. 52000 [स्तर 7 का 6 ^{वां} प्रकोष्ठ] |
| करेंसी अवधि के बाद का वेतन | दिनांक 1.07.2018 से = रु. 52000 [स्तर 7 का 6 ^{वां} प्रकोष्ठ] {दिनांक 01.01.2019 अर्थात वेतन वृद्धि की अगली तारीख से वेतन रु. 53600 होगा [स्तर 7 का 7 ^{वां} प्रकोष्ठ]} | दिनांक 1.01.2019 = रु. 52000 [स्तर 7 का 6 ^{वां} प्रकोष्ठ] {दिनांक 01.07.2019 अर्थात वेतन वृद्धि की अगली तारीख से वेतन रु. 53600 होगा [स्तर 7 का 7 ^{वां} प्रकोष्ठ]} |
| करेंसी अवधि | 13.08.2017 से 30.06.2018 तक | 13.08.2017 से 31.12.2018 तक |

मामला सं. 5

(v) मामला 5 : संचयी प्रभाव के बिना निचले स्तर पर अवनति [नियम 11(V) के अधीन शास्ति]

सरकारी सेवक पर दिनांक 13.08.2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए उसके वेतनमान समय में दो स्तरों तक एक निचले स्तर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसके अतिरिक्त यह निदेश दिया जाता है कि अवधि के दौरान सरकारी सेवक को वेतनवृद्धि मिलेगी और उनके भविष्य के वेतनवृद्धि को यह अवनति स्थगित नहीं करेगी। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रु. 50500 आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा।

| | जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी है। | जब वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई है। |
|---|---|---|
| शास्ति अधिरोपित किए जाने के समय वेतन | रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ) | रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ) |
| करेंसी अवधि के दौरान वेतन में अवनति दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 12.08.2018 तक प्रभावी | (i) दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 31.12.2017 तक अवनत वेतन रु. 47600 होगा (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ) (ii) वेतन वृद्धि आहरित करने के पश्चात दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 12.08.2018 तक के लिए वेतन 49000 होगा (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ) | (i) दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 30.06.2018 तक अवनत वेतन रु. 47600 होगा (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ) (ii) वेतन वृद्धि आहरित करने के पश्चात दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 12.08.2018 तक के लिए वेतन 49000 होगा (स्तर 7 का चौथा प्रकोष्ठ) |
| वेतनवृद्धि (कल्पित) | दिनांक 1 जनवरी, 2018 को रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) | दिनांक 1 जुलाई, 2018 को रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) |
| शास्ति पूरा होने पर वेतन (दिनांक 13.08.2018 से प्रभावी) | रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) | रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) |
| अगली वेतन वृद्धि | दिनांक 01.01.2019 से देय वेतनवृद्धि आहरित करने के बाद उसका वेतन 53600 (स्तर 7 का सातवां प्रकोष्ठ) होगा। | दिनांक 01.07.2019 से देय वेतनवृद्धि आहरित करने के बाद उसका वेतन 53600 (स्तर 7 का सातवां प्रकोष्ठ) होगा। |

मामला सं. 6

(vi) मामला 6 : संचयी प्रभाव के बिना निचले स्तर पर अवनति [नियम 11(V) के अधीन शास्ति]

सरकारी सेवक पर दिनांक 13.08.2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए उसके वेतनमान समय में दो स्तरों तक एक निचले स्तर पर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसके अतिरिक्त यह निदेश दिया जाता है कि अवधि के दौरान सरकारी सेवक को वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी और उनकी भविष्य की वेतनवृद्धि को यह अवनति स्थगित नहीं करेगी। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में रु. 50500 आहरण कर रहा है। उसका वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा।

| | | |
|--|--|--|
| | जब वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी है। | जब वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई है। |
| शास्ति अधिरोपित किए जाने के समय वेतन | रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ) | रु. 50500 (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ) |
| दिनांक 13.08.2017 से प्रभावी अवनत वेतन | रु. 47600 (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ) | रु. 47600 (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ) |
| करेंसी अवधि के दौरान वेतन | दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 12.08.2018 तक वेतन रु. 47600 होगा (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ) | दिनांक 13.08.2017 से दिनांक 12.08.2018 तक वेतन रु. 47600 होगा (स्तर 7 का तीसरा प्रकोष्ठ) |
| वेतनवृद्धि (कल्पित) | दिनांक 1 जनवरी, 2018 को रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) | दिनांक 1 जुलाई, 2018 को रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) |
| दिनांक 13.08.2018 से प्रभावी वेतन | रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) रु. 53600 (स्तर 7 का सातवां प्रकोष्ठ) (दिनांक 01.01.2019 से प्रभावी) | रु. 52000 (स्तर 7 का छठा प्रकोष्ठ) रु. 53600 (स्तर 7 का सातवां प्रकोष्ठ) (दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी) |

मामला सं. 7

(vii). मामला 7 : संचयी प्रभाव सहित निचले स्तर में अवनति (नियम 11(v) के तहत शास्ति)।

सरकारी सेवक पर एक वर्ष की अवधि के लिए वेतन समय-मान में दो चरणों तक निचले स्तर में अवनति की शास्ति दिनांक 13.08.2017 से अधिरोपित की गई है। आगे यह भी निदेश दिया जाता है कि सरकारी सेवक इस अवधि के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करेगा और इस अवनति से आगे की वेतनवृद्धियां आस्थगित होगी। सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में 50,500/-रुपए आहरित कर रहा है। वेतन निम्नलिखित रीति से नियत किया जाएगा:

| | जब वेतनवृद्धि की तारीख 01 जनवरी हो | जब वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई हो |
|---|--|--|
| शास्ति लगाई जाने के साथ वेतन | 50,500/-रुपए (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ) | 50,500/-रुपए (स्तर 7 का 5वां प्रकोष्ठ) |
| 13.08.2017 से अवनत वेतन | 47,600/-रुपए (स्तर-7 का तीसरा प्रकोष्ठ) | 47,600/-रुपए (स्तर-7 का तीसरा प्रकोष्ठ) |
| करेंसी अवधि के दौरान वेतन | 13.08.2017 से 12.08.2018 तक वेतन 47,600/- रुपए होगा (स्तर-7 का तीसरा प्रकोष्ठ)। | 13.08.2017 से 12.08.2018 तक वेतन 47,600/- रुपए होगा (स्तर-7 का तीसरा प्रकोष्ठ)। |
| वेतनवृद्धि (कल्पित) | शास्ति की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि नहीं। | शास्ति की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि नहीं। |
| 13.08.2018 को शास्ति अवधि पूरी होने पर वेतन | चूंकि उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए भावी वेतनवृद्धि को आस्थगित किया जाना है, इसलिए शास्ति पूर्व वेतन पर कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी और पुनःस्थापन पर वेतन 50,500/- रुपए ही रहेगा (स्तर-7 का 5वां प्रकोष्ठ) | चूंकि उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए भावी वेतनवृद्धि को आस्थगित किया जाना है, इसलिए शास्ति पूर्व वेतन पर कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी और पुनःस्थापन पर वेतन 50,500/- रुपए ही रहेगा (स्तर-7 का 5वां प्रकोष्ठ) |
| अगली वेतनवृद्धि | अगली वेतनवृद्धि 01.01.2019 से देय होगी और इससे उनका वेतन बढ़कर 52000/- होगा (स्तर-7 का छठा प्रकोष्ठ) | अगली वेतनवृद्धि 01.07.2019 से देय होगी और इससे उनका वेतन बढ़कर 52000/- होगा (स्तर-7 का पांचवा प्रकोष्ठ) |

मामला सं. 8

(viii). मामला 8 : वेतन/ग्रेड के निचले समय-मान में अवनति।

स्तर-9 के सरकारी सेवक पर 04.11.2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए स्तर-8 के निचले ग्रेड में अवनति संबंधी शास्ति लगाई गई है, आगे भी यह निदेश है कि इस अवनति से उसकी आगे की वेतनवृद्धियां आस्थगित नहीं होगी और इस अवधि के समाप्त होने पर वह उच्चतर ग्रेड में अपनी मूल वरिष्ठता पुनः प्राप्त करेगा।

दिनांक 04.11.2018 को, सरकारी सेवक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में 58000/- रुपए आहरित कर रहा है। सरकारी सेवक को 13.08.2016 को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 के पद से स्तर-9 के पद में पदोन्नत किया गया था और पदोन्नति पर उसका वेतन 54700/- रुपए नियत किया गया था। पदोन्नति के समय उसका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में 52000/- रुपए था।

इस मामले में स्तर-8 में वेतन 04.11.2018 से 03.11.2020 तक नियत किए जाने की आवश्यकता होगी मानो उसने स्तर-8 में वेतन जारी रखा हो। वेतन निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

| तारीख | स्तर-9 | स्तर-8 |
|---|---|---|
| 13.08.2016 | 54700 (स्तर-9 में दूसरा प्रकोष्ठ) | 52000 (स्तर-8 में चौथा प्रकोष्ठ)@ |
| 01.07.2017 | 56300 (स्तर-9 में तीसरा प्रकोष्ठ) | 53600 (स्तर-8 में पांचवा प्रकोष्ठ)@ |
| 01.07.2018 | 58000 (स्तर-9 में चौथा प्रकोष्ठ) | 55200 (स्तर-8 में छठवां प्रकोष्ठ)@ |
| 03.11.2018 | 58000 (स्तर-9 में चौथा प्रकोष्ठ) | |
| 04.11.2018 (शास्ति आदेश की तारीख) | | 55200 (स्तर-8 में छठा प्रकोष्ठ) (शास्ति लगाने के पश्चात) |
| दिनांक 04.11.2018 से 03.11.2020 तक की करेंसी अवधि के दौरान वेतन | | (i). 04.11.2018 से 30.06.2019 तक की अवधि के दौरान अवनत वेतन 55200/- रुपए (स्तर-8 में छठा प्रकोष्ठ) होगा (ii). 01.07.2019 से 30.06.2020 के दौरान वेतन 56900/- रुपए (स्तर-8 में सातवां प्रकोष्ठ) होगा (iii). 01.07.2020 से 03.11.2020 तक वेतन 58600/- रुपए (स्तर-8 में आठवां प्रकोष्ठ) होगा |
| करेंसी अवधि के दौरान कल्पित वेतन | 01 जुलाई, 2019 को 59700/- रुपए (स्तर-9 में पांचवा प्रकोष्ठ) 01 जुलाई, 2020 को 61500/- रुपए (स्तर-9 में छठा प्रकोष्ठ) | |
| 04.11.2020 (शास्ति अवधि पूरी होने के पश्चात) | 61500/- रुपए (स्तर-9 में छठा प्रकोष्ठ) | |
| अगली वेतनवृद्धि 01.07.2021 | 63300/- रुपए (स्तर-9 में सातवां प्रकोष्ठ) | |

टिप्पणी :

1. @13.08.2016 से 03.11.2018 तक स्तर-8 में कल्पित वेतन।

2. एफआर-28 के तहत वह प्राधिकारी जो सरकारी सेवक का उच्चतर ग्रेड अथवा पद से निचले ग्रेड अथवा पद पर शास्ति के रूप में अवनति आदेश देगा, उसे किसी भी चरण पर वेतन आहरित करने की अनुमति दे सकता है, जो निचले ग्रेड अथवा पद के अधिकतम से अधिक नहीं होगा, जिसे वह उचित समझता हो। बशर्ते यह कि सरकारी सेवक द्वारा आहरित किए जाने की अनुमति दिया वेतन उस वेतन से अधिक नहीं होगा जिसे वह एफआर-26 के खण्ड (ख) अथवा (ग), जैसा भी मामला हो, के साथ पठित एफआर 22 के लागू होने के कारण आहरित कर रहा होता। यह उदाहरण उस स्थिति के लिए है जहां ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया हो। जहां अनुशासनिक प्राधिकारी ने निचले पद में आहरित किए जाने वाले वेतन का विशेष रूप से उल्लेख किया है तो वेतन उन निदेशों के अनुसार आहरित किया जाएगा।

No: 11012/15/2016-Estt A-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
Establishment A-III Desk

North Block, New Delhi – 110001
Dated June 18, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Regulation of pay on imposition of a penalty under CCS (CCA) Rules, 1965.

The Undersigned is directed to say that the following penalties prescribed in the Rule 11 of CCS (CCA) Rules, 1965, have a bearing on the pay of the officer:

11. Penalties

.....

Minor Penalties –

- (iii)(a) reduction to a lower stage in the time-scale of pay by one stage for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension.
- (iv) withholding of increments of pay;

Major Penalties –

- (v) save as provided for in clause (iii) (a), reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay
- (vi) reduction to lower time-scale of pay, grade, post or Service for a period to be specified in the order of penalty, which shall be a bar to the promotion of the Government servant during such specified period to the time-scale of pay, grade, post or Service from which he was reduced, with direction as to whether or not, on promotion on the expiry of the said specified period -
 - (a) the period of reduction to time-scale of pay, grade, post or service shall operate to postpone future increments of his pay, and if so, to what extent; and
 - (b) the Government servant shall regain his original seniority in the higher time scale of pay , grade, post or service;

2. Vide Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 notified vide notification No. GSR 721(E) dated 25.07.2016, the present system of Pay Bands and Grade Pays have been dispensed with and a new system of pay matrix as specified under Part A of Schedule of Central Civil Service (Revised Pay) Rules, 2016 have been introduced. The status of the employee so far determined by Grade Pay, will now be

determined by **Level** in the Pay Matrix. Further, as per Rule 10 (1) of the CCS (Revised Pay) Rules, 2016, there are two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of the existing date of 1st July.

3. As per clause 3 of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 'Level' is defined as under:

'Level' in the Pay Matrix shall mean the Level corresponding to the existing Pay Band and Grade pay or Scale specified in Part A of the Schedule."

4. In the light of Implementation of the Revised (Pay) Rules, 2016, the regulation of pay on imposition of these penalties, is discussed in the subsequent paras:

A. Reduction to a lower stage of pay by one stage {Rule 11(iii a)}

On imposition of a penalty under this Rule, the pay would be fixed at the next upper vertical cell in the same level in the pay matrix. In other words, in case of reduction by one stage, the revised pay would be the pay drawn in the same level at the stage before the last increment.

Note: The above mentioned penalty cannot be imposed on a Government Servant drawing pay at the minimum of the Level.

B. Withholding of increment {Rule 11(iv)}

As already noted in para 2 above, increment is granted either on 1st January or 1st July of every year, as per the eligibility. Therefore, on imposition of penalty of withholding of increment, the next increment(s) due after the date of imposition of the penalty would be withheld. In case where penalty of withholding of multiple increments is imposed, increments due on 1st January or 1st July, as the case may be, in the subsequent years would similarly be withheld. The increment would be restored at the end of the period for which the penalty is imposed. The increments will be given on notional basis without arrears and without affecting date of next increment on restoration of increment.

This also applies to cases where the penalty is imposed for part of a year. For instance, if the penalty of withholding of one increment for six months is imposed on a Government servant in October 2017, then withholding of increment will be on following manner:

| When the date of increment is 1 st January | When the date of increment is on 1 st July |
|---|---|
| The increment falling due on 1.01.2018 will be withheld for a period of next six months, that is, till 30.06.2018. The increment would be released on 1.07.2018 without arrear. | The increment falling due on 1.07.2018 will be withheld for a period of next six months, that is, till 31.12.2018. The increment would be released on 01.01.2019 without arrears. |

C. Reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period [Rule 11(v)]

The process of imposition of penalty of reduction by one stage under Rule 11(iii a) explained above shall be repeated for every additional stage of reduction to the lower vertical cell in the same level of pay in the Pay Matrix.

Note 1: It is not permissible to impose a penalty under this rule if the pay after imposition of the penalty would fall below the first cell of the same Level.

Note 2: Disciplinary Authority may weigh all factors before deciding upon the quantum of penalty i.e. the number of stage by which the pay is to be reduced.

D. Reduction to lower time-scale of pay under Rule 11(vi)

In the case of imposition of penalty of reduction to lower time-scale of pay, the pay of the Government servant would be reduced to the stage of pay he/she would have drawn had he/she continued in the lower post for the period of penalty. The mode of fixation of pay in this case is similar to reversing the mode of fixation of pay on promotion.

However, Disciplinary Authority has the power, in terms of FR 28, to indicate the pay which the Government servant on whom a penalty of reduction in rank has been imposed, would draw.

It may also be noted that a Government servant cannot be reduced in rank to a post not held earlier by him in the cadre.

For example:

- (i) A direct recruit Assistant Section Officer cannot be reduced to the lower rank like SSA/JSA.
- (ii) A Government servant holding any post like LDC/ Tax Assistant etc. who qualifies as Assistant Section Officer as a Direct Recruit and is later promoted as Section Officer cannot be reduced to the rank, which was earlier held by him before ASO (DR) but only to that of an Assistant Section Officer.

5. Some illustrations on pay fixation on the above cases are annexed.

6. In so far as the personnel serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these instructions are being issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

7. Hindi version will follow.



(Satish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India

To

The Secretaries of All Ministries/Departments (as per the standard list)

Copy to:

- 1. President's Secretariat, New Delhi.
- 2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.

3. The Prime Minister's Office, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Rajya Sabha Secretariat/Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
6. The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
7. The Secretary, Central Vigilance Commission
8. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
9. The Secretary, Staff Selection Commission, New Delhi.
10. All attached offices under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
11. National Commission for Scheduled Castes, New Delhi.
12. National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi.
13. National Commission for OBCs, New Delhi.
14. Secretary, National Council (JCM), 13, Feroze Shah Road, New Delhi.
15. CVOs of all Ministries/Departments.
16. ADG (M&C), Press Information Bureau, DoP&T
17. NIC, Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi [for uploading the same on the website of this Ministry under the Head Notifications >> OMs & Orders >> Establishment >> CCS (CCA Rules) & What's New]
18. Hindi Section, DoP&T



(Satish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India

ILLUSTRATIONS

Reduction to lower stage in the time-scale of Pay

Example

| | Level | Cell | Pay |
|------------------------|-------|------|-----------|
| On the date of Penalty | 9 | 7 | Rs. 63300 |
| Reduction by 1 Stage | 9 | 6 | Rs. 61500 |
| Reduction by 2 Stage | 9 | 5 | Rs. 59700 |
| Reduction by 3 stage | 9 | 4 | Rs. 58000 |
| Reduction by 4 stage | 9 | 3 | Rs. 56300 |
| Reduction by 5 stage | 9 | 2 | Rs. 54700 |

Example: 2

| | Level | Cell | Pay |
|------------------------|-------|------|-----------|
| On the date of Penalty | 9 | 3 | Rs. 56300 |
| Reduction by 1 Stage | 9 | 2 | Rs. 54700 |
| Reduction by 2 Stage | 9 | 1 | Rs. 53100 |
| Reduction by 3 stage | ** | ** | ** |
| Reduction by 4 stage | | | |
| Reduction by 5 stage | | | |

**** In the above illustration, a penalty of reduction by more than two stages would fall below the first cell of the same Level, such a penalty therefore, would not be implementable. Therefore, while imposing the penalty of reduction to a lower stage in time-scale of pay under Rule 11 (v) of the CCS (CCA) Rules, 1965, Disciplinary Authority may weigh all factors before deciding upon the quantum of penalty, i.e. the number of stages by which the pay is to be reduced.**

Case History No. 1

(i) Case 1: Reduction to a lower stage [penalty under Rule 11 (iii a)]

The penalty of reduction to a lower stage in the time-scale of pay by one stage for a period of one year, without cumulative effect and not adversely affecting his pension is imposed on a Government servant w.e.f. 13.08.2017. The Government servant is drawing Rs. 50500 in Level 7 of Pay Matrix. Pay would be fixed on following manner:

| | When the date of increment is 1 st January | When the date of Increment is 1 st July |
|---|---|---|
| Pay when Penalty imposed | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] |
| Reduced Pay w.e.f. 13.08.2017 [pay during the currency period from 13.08.2017 to 12.08.2018] | Rs. 49000 [4 th Cell of Level 7] | Rs. 49000 [4 th Cell of Level 7] |
| Increment (notional) | On 1st January, 2018 Rs. 52000 [6th Cell of Level 7] | On 1st July, 2018 Rs. 52000 [6th Cell of Level 7] |
| Pay w.e.f. 13.08.2018 | Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] w.e.f. 1.01.2019, his pay will be 53600 [7 th Cell of Level 7] after drawl of due increment | Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] On 1.07.2019, his pay will be 53600 [7 th Cell of Level 7] after drawl of due increment |

Case History No. 2

(ii) Case 2: Reduction to a lower stage [penalty under Rule 11 (iii a)]

The penalty of reduction to a lower stage in the time-scale of pay by one stage for a period of two years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension is imposed on a Government servant w.e.f. 13.08.2017. The Government servant is drawing Rs. 50500 in Level 7 of Pay Matrix. Pay would be fixed on following manner:

| | When the date of increment is 1 st January | When the date of Increment is 1 st July |
|---|--|--|
| Pay when Penalty imposed | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] |
| Reduced Pay w.e.f. 13.08.2017 [pay during the currency period from 13.08.2017 to 12.08.2019] | Rs. 49000 [4 th Cell of Level 7] | Rs. 49000 [4 th Cell of Level 7] |
| Increment (notional) | On 1 st January, 2018 Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] On 1 st January, 2019 Rs. 53600 [7 th Cell of Level 7] | On 1 st July, 2018 Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] On 1 st July, 2019 Rs. 53600 [7 th Cell of Level 7] |
| Pay w.e.f. 13.08.2019 | Rs. 53600 [7 th Cell of Level 7] w.e.f. 1.01.2020, his pay will be 55200 [8 th Cell of Level 7] after drawl of due increment | Rs. 53600 [7 th Cell of Level 7] w.e.f. 1.07.2020, his pay will be 55200 [8 th Cell of Level 7] after drawl of due increment |

Case History No. 3

(iii) Case 3: Withholding of increment [Penalty under Rule 11(iv)]

The penalty of withholding of one increment for a period of two years is imposed on a Government servant on 13.08.2017. The Government servant is drawing Rs. 50500 in Level 7 of Pay Matrix. Pay would be fixed on the following manner.

| | When the date of increment is 1 st January | When the date of Increment is 1 st July |
|--|---|---|
| Pay when Penalty imposed i.e. 13.08.2017 | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] |
| Pay during the currency period | <p>The increment due on 01.01.2018 will be withheld for two years i.e. upto 31.12.2019.</p> <p>As such, the pay w.e.f. 13.08.2017 will be as under:</p> <p>(i) Pay w.e.f. 13.08.2017 to 31.12.2017 will be Rs. 50500 [5th Cell of Level 7]</p> <p>(ii) Pay w.e.f. 1.01.2018 to 31.12.2018 will be Rs. 50500 [5th Cell of Level 7] [due to imposition of penalty]</p> <p>(iii) Pay w.e.f. 1.01.2019 to 31.12.2019 will be Rs. 52000 [6th Cell of Level 7]</p> | <p>The increment due on 01.07.2018 will be withheld for two years i.e. upto 30.06.2020.</p> <p>As such, the pay w.e.f. 13.08.2017 will be as under:</p> <p>(i) Pay w.e.f. 13.08.2017 to 30.06.2018 will be Rs. 50500 [5th Cell of Level 7]</p> <p>(ii) Pay w.e.f. 1.07.2018 to 30.06.2019 will be Rs. 50500 [5th Cell of Level 7] [due to imposition of penalty]</p> <p>(iii) Pay w.e.f. 1.07.2019 to 30.06.2020 will be Rs. 52000 [6th Cell of Level 7]</p> |
| Increment (notional) | <p>On 1st January, 2018 Rs. 52000 [6th Cell of Level 7]</p> <p>On 1st January, 2019 Rs. 53600 [7th Cell of Level 8]</p> | <p>On 1st July, 2018 Rs. 52000 [6th Cell of Level 7]</p> <p>On 1st July, 2019 Rs. 53600 [7th Cell of Level 8]</p> |
| Pay after the currency period | w.e.f 1.01.2020 = Rs. 55200 [8 th Cell of Level 7] | w.e.f 1.07.2020 = Rs. 55200 [8 th Cell of Level 7] |
| Currency Period | 13.08.2017 to 31.12.2019 | 13.08.2017 to 30.06.2020 |

Case History No. 4

(iv) Case 4: Withholding of increment [Penalty under 11(iv)]

The penalty of Withholding of one increment **for a period of six months** is imposed on a Government servant on 13.08.2017. The Government servant is drawing Rs. 50500 in Level 7 of Pay Matrix. Pay would be fixed on following manner:

| | When the date of increment is 1 st January | When the date of Increment is 1 st July |
|--------------------------------|---|--|
| Pay when Penalty imposed | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] |
| Pay during the currency period | The increment due on 01.01.2018 will be withheld i.e. upto 30.06.2018. As such, the pay w.e.f. 13.08.2017 to 30.06.2018 = Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] | The increment due on 01.07.2018 will be withheld i.e. upto 31.12.2018. As such, the pay w.e.f. 13.08.2017 to 31.12.2018 = Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] |
| Increment (notional) | On 1 st January, 2018 Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] | On 1 st July, 2018 Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] |
| Pay after the currency period | w.e.f 1.07.2018 = Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] [w.e.f. 01.01.2019 i.e. date of next increment, the pay will be Rs. 53600 (7 th Cell of Level 7). | w.e.f 1.1.2019 = Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] [w.e.f. 01.07.2019 i.e. date of next increment, the pay will be Rs. 53600 (7 th Cell of Level 7). |
| Currency Period | 13.08.2017 to 30.06.2018 | 13.08.2017 to 31.12.2018 |

Case History No. 5

(v) Case 5: Reduction to a lower stage without cumulative effect [penalty under Rule 11(v)]:-

The penalty of reduction to a lower stage by two stages in the time-scale of pay for a period of one year is imposed on a Government servant w.e.f. 13.08.2017. It is further directed that the **Government servant would earn increment during the period and the reduction will not have the effect of postponing his future increments of pay**. The Government servant is drawing Rs. 50500 in Level 7 of Pay Matrix. Pay would be fixed on following manner:

| | When the date of increment is 1 st January | When the date of Increment is 1 st July |
|--|--|--|
| Pay when Penalty imposed | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] |
| Reduced during the currency period w.e.f. 13.08.2017 to 12.08.2018 | (i) Reduced pay w.e.f. 13.08.2017 to 31.12.2017, will be Rs. 47600 [3 rd Cell of Level 7] (ii) Pay w.e.f. 1.01.2018 to 12.08.2018 after drawl of increment will be Rs. 49000/- [4 th Cell of Level 7] | (i) Reduced pay w.e.f. 13.08.2017 to 30.06.2018, will be Rs. 47600 [3 rd Cell of Level 7] (ii) Pay w.e.f. 1.07.2018 to 12.08.2018 after drawl of increment will be Rs. 49000/- [4 th Cell of Level 7] |
| Increment (notional) | On 1 st January, 2018 Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] | On 1 st July, 2018 Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] |
| Pay on completion of Penalty (w.e.f. 13.08.2018) | Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] | Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] |
| Next increment | w.e.f. 1.01.2019, his pay will be 53600 [7 th Cell of Level 7] after drawl of due increment | w.e.f. 1.07.2019, his pay will be 53600 [7 th Cell of Level 7] after drawl of due increment |

Case History No. 6

(vi) Case 6: Reduction to a lower stage without cumulative effect [penalty under Rule 11(v)]

The penalty of reduction to a lower stage by two stages in the time-scale of pay for a period of one year is imposed on a Government servant w.e.f. 13.08.2017. It is further directed that the Government servant **would not earn increment** during the period and the **reduction will not have the effect of postponing future increments of pay**. The Government servant is drawing Rs. 50500 in Level 7 of Pay Matrix. Pay would be fixed on following manner:

| | When the date of increment is 1 st January | When the date of Increment is 1 st July |
|--------------------------------|---|---|
| Pay when Penalty imposed | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] |
| Reduced Pay w.e.f. 13.08.2017 | Rs. 47600 [3 rd Cell of Level 7] | Rs. 47600 [3 rd Cell of Level 7] |
| Pay during the currency period | Pay w.e.f. 13.08.2017 to 12.08.2018 will be Rs. 47600 [3 rd Cell of Level 7] | Pay w.e.f. 13.08.2017 to 12.08.2018 will be Rs. 47600 [3 rd Cell of Level 7] |
| Increment (notional) | On 1 st January, 2018 Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] | On 1 st July, 2018 Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] |
| Pay w.e.f. 13.08.2018 | Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] Rs. 53600 [7 th Cell of Level 7] {w.e.f. 1.01.2019} | Rs. 52000 [6 th Cell of Level 7] Rs. 53600 [7 th Cell of Level 7] {w.e.f. 1.07.2019} |

Case History No. 7

(vii) Case 7: Reduction to a lower stage with cumulative effect [penalty under Rule 11(v)]

The penalty of reduction to a lower stage by two stages in the time-scale of pay for a period of one year is imposed on a Government servant w.e.f. 13.08.2017. It is further directed that the Government servant **would not earn increment** during the period and the **reduction will have the effect of postponing future increments of pay**. The Government servant is drawing Rs. 50500 in Level 7 of Pay Matrix. Pay would be fixed on following manner:

| | When the date of increment is 1 st January | When the date of Increment is 1 st July |
|---|--|--|
| Pay when Penalty imposed | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] | Rs. 50500 [5 th Cell of Level 7] |
| Reduced Pay w.e.f. 13.08.2017 | Rs. 47600 [3 th Cell of Level 7] | Rs. 47600 [3 th Cell of Level 7] |
| Pay during the currency period | Pay w.e.f. 13.08.2017 to 12.08.2018 will be Rs. 47600 [3 rd Cell of Level 7] | Pay w.e.f. 13.08.2017 to 12.08.2018 will be Rs. 47600 [3 rd Cell of Level 7] |
| Increment (notional) | No increment during the period of penalty | No increment during the period of penalty |
| Pay on completion of penalty as on 13.08.2018 | Since future increment is to be postponed to adversely affect his pension, no increment will be given on the pre- penalty pay and on restoration pay will remain same as Rs. 50500 (5 th Cell of Level 7) | Since future increment is to be postponed to adversely affect his pension, no increment will be given on the pre- penalty pay and on restoration pay will remain same as Rs. 50500 (5 th Cell of Level 7) |
| Next increment | Next increment will be due w.e.f. 01.01.2019 raising his pay to Rs. 52000 (6 th Cell of Level 7) | Next increment will be due w.e.f. 01.07.2019 raising his pay to Rs. 52000 (5 th Cell of Level 7) |

Case History No. 8

(viii) Case 8: Reduction to lower time-scale of pay/ grade

The penalty of reduction to the lower grade carrying Level 8 for a period of two years is imposed on Government servant who is at Level 9 w.e.f. 04.11.2018, with further directions that the **reduction shall not postpone his future increments** and on the expiry of the period he shall regain his original seniority in the higher grade.

On 4.11.2018, the Government servant is drawing Rs. 58000 in Level 9 of Pay Matrix. The Government servant had been promoted from the post in Level 8 to the post in Level 9 of the Pay Matrix on 13.08.2016 and on promotion his pay was fixed at Rs. 54700/-. At the time of promotion his pay was Rs. 52000 in Level 8 of the Pay Matrix.

In this case the pay in Level 8 would need to be fixed w.e.f. 4.11.2018 to 3.11.2020 as if he had continued in Level 8. Pay would be regulated as under:

| Date | Level 9 | Level 8 |
|--|--|--|
| 13.08.2016 | 54700 [2 nd Cell in Level 9] | 52000 [4 th Cell in Level 8]@ |
| 1.07.2017 | 56300 [3 rd Cell in Level 9] | 53600 [5 th Cell in Level 8]@ |
| 1.07.2018 | 58000 [4 th Cell in Level 9] | 55200 [6 th Cell in Level 8]@ |
| 3.11.2018 | 58000 [4 th Cell in Level 9] | |
| 4.11.2018 [date of penalty order] | | 55200 [6th Cell in Level 8] [after imposition of penalty] |
| Pay during the currency period from 4.11.2018 to 3.11.2020 | | (i) Reduced pay w.e.f. 4.11.2018 to 30.06.2019 will be 55200 [6 th Cell in Level 8] (ii) Pay w.e.f. 1.07.2019 to 30.06.2020 will be Rs. 56900/- [7 th Cell in Level 8] (iii) Pay w.e.f. 1.07.2020 to 3.11.2020 will be Rs. 58600 [8 th Cell in Level 8] |
| Notional pay during the currency period | On 1 st July, 2019 Rs. 59700 [5 th Cell in Level 9] On 1 st July, 2020 Rs. 61500 [6 th Cell in Level 9] | |
| 4.11.2020 [After completion of penalty] | 61500 [6 th Cell in Level 9] | |
| Next Increment 1.7.2021 | 63300 [7 th Cell in Level 9] | |

NOTE:

1. @ Notional pay in Level 8 from 13.08.2016 to 3.11.2018.
2. Under FR-28, the authority which orders the reduction of a Government servant as a penalty from a higher grade or post to a lower grade or post may allow him to draw pay at any stage, not exceeding the maximum of the lower grade or post, which it may think proper. Provided the pay allowed to be drawn by a government servant shall not exceed the pay which he would have drawn by the operation of FR 22 read with clause (b) or (c), as the case may be of FR 26. This illustration is where no such orders have been passed. Where the disciplinary authority has specified the pay to be drawn in the lower post pay will be drawn as per those directions.